



बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना

भारतीय सेना एवं केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल से सेवा निवृत्त सैनिकों (Ex-Army)/अर्द्धसैनिकबलों (Ex-Paramilitary,CAPF) के लिए Special Auxiliary Police (SAP), Bihar में अनुबंध पर भर्ती हेतु

विज्ञापन

SAP, बिहार पुलिस में वर्तमान रिक्ति जे0सी0ओ0-148, सैप जवान-15135 एवं रसोईया- 538 कुल 15821 रिक्तियों के विरुद्ध अर्हता प्राप्त भारतीय सेना से सेवा निवृत्त भूतपूर्व सैनिकों (Ex. Army)/केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के सेवानिवृत्त अर्द्धसैनिक बलों (Ex.Paramilitary,CAPF) का चयन कर अनुबंध पर भर्ती AWPO, दानापुर कैंट के माध्यम से किया जाना है। इस हेतु भारतीय सेना से सेवा निवृत्त भूतपूर्व सैनिकों/केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के सेवानिवृत्त अर्द्धसैनिक बल जो Special Auxiliary Police (SAP), Bihar में अनुबंध पर भर्ती होने के इच्छुक हो, अपनी सेवानिवृत्त से संबंधित डिस्चार्ज बूक,पी.पी.ओ., पहचान पत्र, बैंक पास बूक जिसमें पेंशन का ब्योरा हो, आवासीय प्रमाण-पत्र (01 जनवरी-2026 के बाद) जाति प्रमाण पत्र (Online होना चाहिए), AWPO का निबंधन संख्या एवं पासपोर्ट आकार का 04 संयुक्त फोटो (पति-पत्नी) के साथ निर्धारित तिथि/समय पर रीजनल ऑफिस AWPO, दानापुर कैंट में आयोजित रैली में उपस्थित हो सकते हैं।

प्रमंडल/जिलावार रैली की तिथियाँ -

क्रमांक	प्रमंडल	जिला	रैली की तिथि
1	पुर्णिया, भागलपुर, दरभंगा	पुर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज भागलपुर, नवगछिया, बांका, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर	01.06.2026
2	कोशी, मुंगेर, सारण	सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, मुंगेर, बेगुसराय, खगड़िया, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, सारण, सिवान, गोपालगंज	02.06.2026
3	तिरहुत	मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बेतिया, बगहा, सीतामढ़ी, वैशाली, शिवहर	03.06.2026
4	मगध	गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, नवादा	04.06.2026
5	पटना	पटना, नालन्दा	05.06.2026
		भोजपुर, भभुआ, रोहतास, बक्सर	06.06.2026

समय - प्रातः 09:30 बजे से 16:00 बजे तक

- रीजनल ऑफिस AWPO, दानापुर कैंट के द्वारा Walk-in Interview वित्तीय वर्ष 2026-27 तक Conduct किया जायेगा। उपरोक्त तिथि के अलावे Walk-in Interview प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में किया जायेगा।
- चुने गये भूतपूर्व सैनिकों/अर्द्धसैनिक बलों (Ex.Paramilitary, CAPF) को एक वर्ष के लिए अनुबंध पर रखा जाएगा। आवश्यकतानुसार उनके अनुबंध अवधि का विस्तार किया जा सकता है।
- सैप बल में सैप जवान की बहाली हेतु कुल कोटिवार रिक्ति की विवरणी निम्नानुसार है:-

वर्तमान रिक्ति:-

क्रमांक	आरक्षण की कोटि	पद की संख्या
01	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	2936
02	अनुसूचित जाति	2688
03	पिछड़ा वर्ग	1525
04	पिछड़ा वर्ग की महिला	510
05	अनुसूचित जन जाति	163
	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	1582
06	अनारक्षित वर्ग	(आरक्षित वर्ग+आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को अनुमान्य पद =15821-(7822+1582)=6417
कुल पद :- 15821		

नोट:-

- वर्तमान रिक्ति के कुल-15821 पदों में स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती, नाती/नतिनी को 316 पद क्षैतिज आरक्षण के रूप में अनुमान्य है। चयनित उम्मीदवार जिस आरक्षित/गैर आरक्षित वर्ग से संबंधित होंगे, उसकी गिनती संगत आरक्षित/गैर आरक्षित वर्ग में की जाएगी।
- सामान्य प्रशासन विभागीय संकल्प-962, दिनांक-22.01.2021 द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के आलोक में दिव्यांगता से ग्रस्त उम्मीदवारों को 4% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य है। तदनुसार इन्हें कुल रिक्ति का 15821x4%=632.84=633 पद का निम्नांकित श्रृंखला के अंतर्गत क्षैतिज आरक्षण (मेडिकल आधार पर) देय होगा-

क	अंध और निम्न दृष्टि	01 पद
ख	बधिर और श्रवण शक्ति	01 पद
ग	चलंत दिव्यांगता जिसके अंतर्गत प्रमस्तिष्क घात, रोगमुक्त कुष्ठ, बौनापन, तेजाब आ क्रमण के पीड़ित और पेशीय दुष्पोषण भी है	01 पद
घ	स्वपरायणता, बौद्धिक दिव्यांगता, विषिष्ट अधिगम दिव्यांगता और मानसिक रूग्णता	
ङ.	प्रत्येक दिव्यांगता के लिए पहचान किए गए पदों में खंड(क) से खंड (घ) के अधीन व्यक्तियों में से बहुदिव्यांगता जिसके अंतर्गत बधिर, अंधता भी हैं	01

3. आवश्यक अर्हता (QR) :-

- उम्र सीमा-दिनांक-01 जून 2026 को जवान एवं जे0सी0ओ0 का क्रमशः अधिकतम उम्र 47 एवं 52 वर्ष हो।
- सेवानिवृत्ति के समय मेडिकल कैटेगरी S1,H3,A3,P3,E3 का होना चाहिए जिसमें SHAPE-1 को वरीयता दी जायेगी। इसके अलावा चिकित्सा जांच में पूरी तरह योग्य पाये जाने पर ही अनुबंध पर लिया जाएगा।
- सेवानिवृत्ति के समय आचरण EXEMPLARY/VERY GOOD/GOOD होना चाहिए।
- भूतपूर्व सैनिक/अर्द्धसैनिक बलों (Ex.Paramilitary, CAPF) बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए। अभ्यर्थी इस संबंध में संबंधित अंचलाधिकारी से निर्गत आवासीय प्रमाण-पत्र साथ लाएँगे।
- वैसे भूतपूर्व सैनिक/अर्द्धसैनिक बलों (Ex.Paramilitary, CAPF) जो सैप, ERSS, Homeguard में पहले भर्ती थे और किसी कारण उनका अनुबंध समाप्त कर दिया गया हो, भर्ती के पात्र नहीं होंगे।
- छोटे आधुनिक एवं स्वचालित हथियारों के इस्तेमाल का पूरा ज्ञान होना आवश्यक है।
- शारीरिक परीक्षा नहीं ली जाएगी परन्तु मेडिकल जांच अनिवार्य होगा। मेडिकल जांच आर्मी या ECHS या पुलिस के द्वारा प्रतिनियुक्त मेडिकल टीम के अनुसार किया जायेगा।
- वैसे भूतपूर्व सैनिक/अर्द्धसैनिक बलों (Ex.Paramilitary,CAPF) जिनको आपदा प्रबंधन, बम डिटेक्शन और डिस्पोजल, ड्राइविंग, रिजर्विंग, गोताखोरी और मोटरबोट चलाने का अनुभव है, उन्हें भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी।
- भर्ती पर लिए गए जवानों को एक जिला से दूसरे जिला स्थानांतरित किया जा सकता है और बिहार सरकार के अन्य विभाग यथा-परिवहन/उत्पाद/खनन विभाग इत्यादि में भी प्रतिनियुक्त किया जा सकता है। गृह जिला में कार्यरत नहीं रहेंगे।
- अनुबंध पर रखे गये भूतपूर्व सैनिकों को एक वर्ष में अधिकतम 40 (चालीस) दिनों का क्षतिपूर्ति अवकाश देय होगा।
- अनुबंध पर रखे जाने वाले जे0सी0ओ0 का मानदेय-35,000 (पैंतिस हजार), जवान सैप का मानदेय-30,000 (तीस हजार), रसोईया का मानदेय-25,000 / -(पच्चीस हजार) होगा। इसके अतिरिक्त बिहार पुलिस में कार्यरत जवानों के समतुल्य बर्दी भत्ता (धुलाई सहित) वार्षिक देय होगा। उक्त सभी सैपकर्मियों का नियमानुसार EPF की कटौती उनके निर्धारित मानदेय से की जायेगी।
- सरकारी कार्य हेतु यात्रा के लिए यात्रा भत्ता/विराम भत्ता बिहार पुलिस में कार्यरत जवानों के समतुल्य नियमानुसार देय होगा।
- कर्तव्य पालन के क्रम में उग्रवादी/आतंकवादी घटना में मारे जाने की परिस्थिति में 10,00,000 /- (दस लाख रुपये) का Ex-Gratia अनुदान दिया जाएगा परन्तु आश्रितों को नौकरी देने का कोई प्रावधान नहीं होगा।
- अनुबंध के पश्चात चयनित जवान जिलों में जिला पुलिस अधीक्षक के अधीन एवं उनके नियंत्रण में कार्यरत रहेंगे। अनुशासनहीनता, कर्तव्यहीनता, कदाचार एवं चारित्रिक दाग पाये जाने पर या अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करने पर बिना किसी नोटिस के अनुबंध समाप्त कर दिया जाएगा।
- अनुबंध के दौरान किसी प्रकार से कार्य/पद का दूरुपयोग, किसी व्यक्ति/संगठन/व्यवसायिक प्रतिष्ठान से अनुचित लाभ प्राप्त नहीं करेंगे।
- सैप जवानों को कोई भी Association बनाने, उसका सदस्य बनने या वित्तीय सहायता देने का अधिकार नहीं होगा।
- अनुबंध अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने पर एक माह पूर्व नोटिस देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।
- अनुबंध के दौरान शारीरिक अस्वस्थता, विकलांगता एवं असाध्य रोग पाये जाने पर अनुबंध बिना नोटिस के समाप्त किया जा सकता है। इस संबंध में कोई भी दावा स्वीकार नहीं होगा।
- भूतपूर्व सैनिक जो Special Auxiliary Police (SAP), Bihar में अनुबंध पर भर्ती होने के लिए इच्छुक हैं, भर्ती प्रक्रिया से पूर्व AWPO रजिस्ट्रेशन का सत्यापन रीजनल ऑफिस AWPO, दानापुर कैंट के कार्यालय से अवश्य करा लें। AWPO रजिस्ट्रेशन के बिना सैप भर्ती की पात्रता अमान्य होगी।
- भूतपूर्व सैनिक/अर्द्धसैनिक बलों (Ex.Paramilitary,CAPF) जो अभ्यर्थी हैं, के लिए आवेदन फार्म रीजनल ऑफिस AWPO, दानापुर कैंट में उपलब्ध रहेगा। अभ्यर्थी अपना आवेदन पूर्ण रूप से भरकर सभी संबंधित दस्तावेजों, यथा- Discharge book का स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति, पी.पी.ओ., पहचान पत्र, बैंक पासबुक जिसमें उनके पेंशन का ब्योरा हो की छायाप्रति और जाति प्रमाण पत्र (अगर आरक्षण कोटि के हो) के साथ रीजनल ऑफिस, AWPO, दानापुर कैंट में जमा करेंगे जहाँ उसकी जांच कर निर्धारित तिथि को रैली स्थल पर भेज दिया जायेगा। विशेष परिस्थिति में कोई अभ्यर्थी रीजनल ऑफिस AWPO, दानापुर कैंट में अपना आवेदन भरकर जमा नहीं कर पाते हैं तो उन्हें अपना आवेदन रैली स्थल पर भरकर जमा करने की भी सुविधा रहेगी।
- भूतपूर्व सैनिकों को ECHS का सदस्य होना अनिवार्य होगा।
- अपीलीय प्राधिकार पुलिस महानिदेशक (अभियान), बिहार पटना होंगे।
- किसी भी विशेष जानकारी के लिए हेल्प लाईन -

- पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, बिहार पटना का कार्यालय दूरभाष - 0612 2294172
- रीजनल ऑफिस AWPO, दानापुर कैंट का दूरभाष-06115-222251 पर सुबह 08:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक सम्पर्क किया जा सकता है।

(कुन्दन कृष्णन)

पुलिस महानिदेशक (अभियान)

बिहार, पटना

PR- 002758 (Home) 2026-27

विस्तृत सूचना www.state.bihar.gov.in/prdbihar पर भी देखी जा सकती है।

नशे से बचने का है एक ही उपचार, दृढ़ संकल्प और परिवार से प्यार